फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

स्टार हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्या. वेस्टर्न एज आई, मेट्रो कैश एवं केरी के ऊपर, बोरिवली ईस्ट, मुम्बई जरिये प्राधिकृत अधिकारी, श्री पारितोष कोठारी (पूर्व एक्मे बिजेनश सेंटर(एबीसी), 4–5 सबसिटी, सविना सर्किल, कृषि उपज मंडी के सामने, उदयपुर ।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजमल मेवाड़ा पुत्र श्री वर्दीचंद मेवाड़ा जाति कलाल निवासी 401, विशाल नगर सोसायटी, फुलपाड़ा, पटेल नगर, सुरत सिटी, ए के रोड़, सुरत सिटी, जिला सुरत (गुजरात) पिन नंबर 395008 **(ऋणी / बंधक कर्ता)**
2. श्रीमती इंद्रा मेवाड़ा पत्नी श्री राजमल मेवाड़ा जाति कलाल निवासी 401, विशाल नगर सोसायटी, फुलपाड़ा, पटेल नगर, सुरत सिटी, ए के रोड़, सुरत सिटी, जिला सुरत (गुजरात) पिन नं. 395008 **(सह ऋणी)**
3. श्री रामलाल कलाल पुत्र श्री मांगीलाल कलाल जाति कलाल निवासी डी–59, हरिद्वार सोसाइटी–बी, कतरगाम, जिला सुरत (गुजरात) पिन नंबर 395004

–अप्रार्थीगण (जमानती)

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 76 / 2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07.11.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी स्टार हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्या. वेस्टर्न एज आई, मेट्रो कैश एवं केरी के ऊपर, बोरिवली ईस्ट, मुम्बई जरिये प्राधिकृत अधिकारी, श्री पारितोष कोठारी (पूर्व एक्मे स्टार हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, 4–5 सबसिटी सेन्टर, सविना उदयपुर ने दिनांक 05.08.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी / ऋणी को रूपये 30,00,000 / –रू की ऋण सुविधा दिनांक 01.02.2018 को उपलब्ध करवाई गई थी। अप्रार्थी ऋणियों / सहऋणीयों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में श्री राजमल मेवाड़ा पुत्र श्री वर्दी चन्द मेवाडा, ऋणी की पट्टा सं. 66, बुक सं. 25 ग्राम कालागुन ग्राम पंचायत ताल तहसील देवगढ जिला राजसमंद में स्थित भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपति के अभिन्न अंग होकर माप लगभग 2345 वर्गफीट है जिसकी चतुर्सीमा पूर्व में: आम रास्ता, पश्चिम में: आबादी पड़त, उत्तर में: श्री महेन्द्र लाल का मकान, दक्षिण में: श्री प्रेम चंद्र का मकान है। उक्त ऋण पेटे अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त आवासीय जायदाद को साम्यिक बंधक रखा	

गया है, किंतु अप्रार्थी/ऋणी उक्त ऋण का भुगतान प्रार्थी को नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 01.04.2022 को अकियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 07. 04.2022 को बकाया राशि 50,60,540 /— रूपये देय है व दिनांक 08.04.2022 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 11.04.2022 को नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। ऋणी श्री राजमल मेवाड़ा एवं सहऋणी श्रीमती इन्द्रा मेवाड़ा को एक्मे .स्टार हाउसिंग लिमिटेड, उदयपुर द्वारा भारतीय डाक के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक से ए के रोड सूरत के पत्ते पर दिनांक 19.04.2022 को नोटिस भिजवाया गया जो ट्रेक कन्साईमेंट अनुसार दिनांक 22.04.2022 को आईटम रिफ्युज होने से वापिस रिर्टन होकर उदयपुर शास्त्रि सर्कल पर दिनांक 26.04. 2022 डिलिवर हो चुका है।

प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी/सहऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस एक्मे स्टार हाउसिंग लिमिटेड, उदयपुर द्वारा भारतीय डाक के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक से ए के रोड सूरत के पत्ते पर दिनांक 19.04.2022 को नोटिस भिजवाया गया जो ट्रेक कन्साईमेंट अनुसार दिनांक 22.04.2022 को आईटम रिफ्युज होने से वापिस रिर्टन होकर उदयपुर शास्त्रि सर्कल पर दिनांक 26.04.2022 डिलिवर हो चुका है, ऋणी/सहऋणी द्वारा नोटिस प्राप्त नहीं कर पुनः रिफ्युज कर लौटा दिये जाने से उदयपुर शास्त्रि सर्कल पर दिनांक 26.04.2022 को पुनः डिलिवर हो जाने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित स्टार हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड को भुगतान नहीं करने से चरण संख्या 2 में वर्णित बंधक रहनशुदा संपति का कब्जा प्राप्त करने व विकय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने के अधिकारी है।

दिनांक 16 अगस्त, 2016 को भारत का राजपत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अनुसार धारा 14 में जो संशोधन हुआ, वो निम्न प्रकार से है :–

Sec. 12- In the principal Act, in section, 14, in sub-section (1)-

(i) in the second proviso, after the words "secured assets", **the words "within a periond of thirty days from the date of application" shall be inserted**

(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted namely- "Provided further that if no order is passed by the Chief metropolitan Magistrate or District Magistrate within the period of thirty days for reasons beyond his control, he may after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days".

आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी स्टार हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्या. वेस्टर्न एज आई, मेट्रो कैश एवं केरी के ऊपर, बोरिवली ईस्ट, मुम्बई जरिये प्राधिकृत अधिकारी, श्री पारितोष कोठारी (पूर्व एक्मे स्टार हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, 4–5 सबसिटी सेन्टर, सविना उदयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार श्री राजमल मेवाड़ा पुत्र श्री वंर्दी चंद मेवाड़ा निवासी कालागुन तहसील देवगढ जिला राजसमंद की एक आवासीयं संपत्ति मकान–पट्टा सं. 66, बुक सं. 25 ग्राम कालागुन ग्राम पंचायत ताल तहसील देवगढ जिला राजसमंद में स्थित भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपति के अभिन्न अंग होकर माप लगभग 2345 वर्गफीट है जिसके पड़ौस निम्नानुसार हैः– (1) पूर्व मेंः आम रास्ता (2) पश्चिम मेंः आबादी पड़त (3) उत्तर मेंः श्री महेन्द्र लाल का मकान (4) दक्षिण मेंः श्री प्रेम चंद्र का मकान।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी स्टार हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्या. वेस्टर्न एज आई, मेट्रो कैश एवं केरी के ऊपर, बोरिवली ईस्ट, मुम्बई जरिये प्राधिकृत अधिकारी, श्री पारितोष कोठारी (पूर्व एक्मे स्टार हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, 4–5 सबसिटी सेन्टर, सविना उदयपुर को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी स्टार हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्या. वेस्टर्न एज आई, मेट्रो कैश एवं केरी के ऊपर, बोरिवली ईस्ट, मुम्बई जरिये प्राधिकृत अधिकारी, श्री पारितोष कोठारी (पूर्व एक्मे स्टार हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, 4–5 सबसिटी सेन्टर, सविना उदयपुर के प्राधिकृत अधिकारी को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)